


# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना.स्थाना./2018 दिनांक 30.05.2018 द्वारा श्री कान्ती लाल खत्री प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण राउमादि न्यू बिल्डिंग सिरोही में स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए रा.आदर्श उमावि हालीवाडा जिला सिरोही किया गया था। श्री खत्री द्वारा उक्त आदेश दिनांक 30.05.2018 के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में प्रस्तुत अपील संख्या 125/2018 श्री कान्ती लाल खत्री बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रस्तुत की गई। अपील संख्या 125/2018 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 से माननीय अधिकरण द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 30.05.2018 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया गया है।

अतः माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना.स्थाना./2018 दिनांक 30.05.2018 को अपीलार्थी श्री कान्ती लाल खत्री की सीमा तक निरस्त किया जाता है।




(नथमल डिहल)

आई.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/अपील सं. 125/2018/कान्ती लाल खत्री/ दिनांक 20/06/2018  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ प्रेषित है:-

- 1-उप शासन सचिव, शिक्षा(युप-2)विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2-संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
- 3-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-प्रथम/द्वितीय माध्यमिक शिक्षा।
- 4-जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक -विधि।
- 5-एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु
- 6-अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग।
- 6-संबंधित संस्था प्रधान/अपीलार्थी
- 7-रक्षित पत्रावली




अनुक्त निदेशक(कार्यिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना.स्थाना./2018 दिनांक 29.05.2018 द्वारा श्री बृजेश व्यास प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर से रा.उ.मा.वि. लवेरा खुर्द जोधपुर किया गया था। श्री व्यास द्वारा उक्त आदेश दिनांक 29.05.2018 के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में प्रस्तुत अपील संख्या 95/2018 श्री बृजेश व्यास बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रस्तुत की गई। अपील संख्या 95/2018 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 से माननीय अधिकरण द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 29.05.2018 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया गया है।

अतः माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना.स्थाना./2018 दिनांक 29.05.2018 को अपीलार्थी श्री बृजेश व्यास की सीमा तक निरस्त किया जाता है।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/अपील सं. 95/2018/बृजेश व्यास/ दिनांक 20/06/2018  
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ प्रेषित है:-

- 1-उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2-संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
- 3-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-प्रथम/द्वितीय माध्यमिक शिक्षा।
- 4-जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक -विधि।
- 5-एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु
- 6-अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग।
- 6-संबंधित संस्था प्रधान/अपीलार्थी
- 7-रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर